

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

551/वि०
01-3-2007

राँची, दिनांक.....

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के कर्मियों का मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की स्वीकृति ।

झारखंड सेवा संहिता के नियम-220 (क) एवं (ख) के अनुसार राज्य सरकार की महिला कर्मों को प्रसव छुट्टी के रूप में 90 दिनों तक प्रसव छुट्टी उपभोग किये जाने की व्यवस्था है । भारत सरकार के पत्र सं०-डी०ओ०पी०टी०, ओ०एम०-13018/01/97 (स्था०) (छुट्टी) दिनांक 07.10.97 के द्वारा केन्द्रीय महिला कर्मियों को प्रसव छुट्टी की अधिकतम 90 दिनों से बढ़ाकर 135 दिनों तक की गई है साथ ही अलग से पुरुष कर्मियों के लिये भी पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिनों के अवकाश को अनुमान्य किया गया है ।

2. फिटमेंट समिति एवं फिटमेंट अपीलिंग समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें तथा भत्ता देने का निर्णय लिया है । सरकार की इस सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार ने सम्पक विचारोपरान्त भारत सरकार के डी०ओ०पी०टी०ओ०एम०-13018/1/97 (स्था०) (छुट्टी) दिनांक 07/10/97 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को प्रदत्त संशर्त प्रसव छुट्टी एवं पितृत्व अवकाश के अनुसूच राज्य सेवीवर्ग के महिला/पुरुष कर्मियों को भी क्रमशः 135 दिनों का मातृत्व अवकाश तथा 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

मातृत्व छुट्टी (MATERNITY LEAVE)

पात्रता

महिला कर्मचारियों को प्रसूति छुट्टी (Maternity Leave) निम्नानुसार स्थिति में प्रदान की जायेगी :-

(क) गर्भावस्था

(ख) गर्भहानि (Miscarriage) और गर्भापात (abortaion) (जिसमें induced गर्भापात शामिल है लेकिन Threatened गर्भापात के लिए यह लाभ नहीं दिया जाता) ।

छुट्टी की अवधि

(क) गर्भावस्था के लिए-135 दिन ।

(ख) गर्भहानि और गर्भापात के लिए: पूरे सेवाकाल में 45 दिन देय लगीं ।

शर्तें

(क) गर्भावस्था में प्रसूति छुट्टी के लिए कर्मचारी के जीवित संतान की संख्या दो से कम होनी चाहिए ।

(ख) गर्भहानि और गर्भापात के लिए प्रसूति छुट्टी के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए बच्चों की संख्या कि लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ग) प्रसूति छुट्टी को किसी दूसरी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।

(घ) प्रसूति छुट्टी के continuation में किसी भी प्रकार की बची हुई एवं देय छुट्टी का लाभ अधिकतम एक वर्ष तक उठाया जा सकता है ।

(ङ) यह किसी प्रकार के छुट्टी खाते में विकलित नहीं की जाएगी ।

(च) इस छुट्टी अवधि की गिनती पेंशन तथा वेतनवृद्धि के लिए ली की जाती है ।

(छ) प्रसूति छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा ।

शिशु को गोद लेने के लिए छुट्टी

दो से कम जीवित संतान वाली कर्मचारी शिशु को गोद लेने के लिए किसी प्रकार की देय और अदेय छुट्टी एक वर्ष की अवधि के लिए या बच्चे की उम्र एक वर्ष तक की होने पर, दोनों में से पहले हो, प्राप्त कर सकती है । इसके लिए 60 दिनों तक की अदेय छुट्टी (leave not due) और संचित छुट्टी (commuted leave) बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए प्राप्त की जा सकती है ।

पितृत्व छुट्टी (PATERNITY LEAVE)

- (i) पितृत्व छुट्टी पुरुष कर्मचारियों को जिनकी दो से कम जीवित संतान हो, पत्नी के प्रसव काल में (अर्थात् प्रसव की तिथि से 15 दिन पहले तक या छह महीने बाद तक) मिल सकती है । अगर इस अवधि में छुट्टी नहीं ली जाती तो इस व्यापगत (lapsed) माना जाता है ।

छुट्टी की अवधि 15 दिन ।

इसे किसी दूसरी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।

सामान्यतः इसे देने से मना नहीं किया जा सकता ।

कितनी अन्य छुट्टी खाते में से इसे विकलित नहीं किया जाएगा ।

पितृत्व छुट्टी के लिए वेतन छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा ।

(ii) जस्पाई casual अधिकारियों की स्थिति में पितृत्व छुट्टी की स्वीकार्य समानुपातिक उपाजित अवकाश (pro rata EL) के साथ जोड़ा जा सकता है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(शिवशंकर तिवारी)

सरकार के उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

SS1/A

राँची, दिनांक 1-3-07

न/विभाग-24-13/07
निलेखित लिखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शिवशंकर तिवारी)

सरकार के उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

SS1/A

राँची, दिनांक 1-3-07

न/विभाग-24-13/07
समा विभागों में सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्री/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी जिला सचिव/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(शिवशंकर तिवारी)

सरकार के उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।